(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या. 10/2019-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून, 2019

सा.का.नि........ (अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 55 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 95(क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रस्थान वाले क्षेत्रों में स्थापित उन खुदरा बिक्री की दुकानों को, जो कि बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वस्तुओं की कर मुक्त आपूर्ति करती हैं, ऐसे व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो ऐसे वस्तुओं की आंतरिक आपूर्ति पर अपने द्वारा भुगतान किए गए एकीकृत कर के रिफंड के लिए हकदार होते हैं ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति "बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो कि भारत के सामान्य निवासी नहीं है, जो भारत में वैध और अस्थायी रूप से न बसने के लिए छः महीने से अनधिक अवधि तक के लिए ठहरने के लिए भारत आते हैं ।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2019 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/90/2019-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार